न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 9/2016 16/5

प्रार्थी **बनाम** **अप्रार्थीगण**

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा
अधिकारी कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
कम अभिहित अधिकारी, नागौर

1सवाईसिंह पुत्र रूपसिंह राजपुरोहित
फर्म–ओम श्री जोधाणा रेस्टोरेन्ट मानासर चौराहा, नागौर।
2दीपक अग्रवाल पुत्र ओमप्रकाश
फर्म–बंसल एजेन्सी 1/73 व्यास कॉलोनी, नागौर।
3प्रकाश अग्रवाल पुत्र मदनलाल
3/4 सिंघल भवन खेतडी हाउस, चांदपोल के बाहर, जयपुर।
4 पंजीकृत कार्यालय फर्म एस.एस.जी. फार्मा प्रा.लि. (फूड डिविजन) 17/2 सैकण्ड प्लोर सचदेवा कारपोरेट टावर कम्यूनिटी सेन्टर कडकडडूमा दिल्ली साउथ पिन 110092
5निर्माता एस.एस.जी. फार्मा प्रा.लि. (फूड डिविजन) फेक्ट्री सी 18/1 साईट 4 इण्डस्ट्रीयल एरिया साहिबाबाद (गाजियाबाद) उत्तरप्रदेश पिन 201001

आदेश

दिनांक : 27.12.17

1. शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान–सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 5-04-2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा । के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि –

2(1). प्रार्थी दिनांक 14-10-14 को सुबह 11-00 बजे (AM) गश्त चैंकिंग के दौरान बहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर स्थित ओम श्री जोधाणा स्वीट एण्ड रेस्टोरेन्ट मानासर नागौर पर पंहुचा। वहां पर विक्रेता की हैसियत से सवाईसिंह मौजूद था एवं आम जनता को दूध, दही, मिठाई, नमकीन आदि विक्रय कर रहा था। प्रार्थी ने अपना परिचय दिया, परिचय लिया, परिचय पत्र दिखाया। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, जो वर्ष 2014 का मौके पर मौजूद था।

2(2). यह कि आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर सोन पपडी सतमोला ब्राण्ड 500 ग्राम गते पैकेट में सील लगभग 40–50 पैकेट सीलबंद रखे हुए थे। निरीक्षण के दौरान मिलावट का शक होने पर इसकी जांच FSSA के तहत कराने के लिए 2 किग्रा (4 डिब्बे मूल अवस्था में 4 x 500 gm) खाद्य पदार्थ सोन पपडी सतमोला ब्राण्ड खरीदने की इच्छा जाहिर की एवं विक्रेता को प्रपत्र 5 ए भरकर दिया। दूसरे प्रपत्र 5 ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5 ए देने से पहले विक्रेता को यह बता दिया कि यह नमूना वह वास्ते जांच FSSA Act के तहत खरीद रहा है। विक्रेता को रूपए 620/– छः सौ बीस रू. मात्र नगद देकर खाद्य पदार्थ सोन पपडी सतमोला ब्राण्ड 2 किलोग्राम (4 डिब्बे मूल अवस्था में 4 x 500 gm) खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर प्रार्थी व विक्रेता ने हस्ताक्षर किए।

2(3). यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ सोन पपडी सतमोला ब्राण्ड मूल अवस्था में लेकर विक्रेता के सामने चार लेबल तैयार किये। जिस पर डीओ कोड व सीरीयल नंबर क्यू–676 नाम व पता वस्तु का नाम नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। प्रार्थी, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज क्यू–676 हस्ताक्षर युक्त जिला अभिहित अधिकारी, नागौर की नियमानुसार प्रत्येक नमूने पर सिर से होते हुए नीचे पैंदों तक नमूनों को अलग अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गॉठ लगाई। प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार चार सील चपडी की लगाई एक नमूने के सिर पर एक पेंदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागें की गांठ लगाई एवं चारों नमूनों पर प्रार्थी ने हस्ताक्षर किए व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाए।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबंद अवस्था में प्रार्थी ने अपने कब्जे में किया। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में प्रार्थी ने व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही प्रार्थी व विक्रेता के सामने मौके पर ही की गई। मौके पर विक्रेता द्वारा बताया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ का ना तो वह उत्पादक है ना ही पैकिंग करता है। माल की खरीद मै. बंसल एजेंसी नागौर से की गई है। जिसके आधार पर अनुसंधान किया तो ज्ञात हुआ कि उक्त माल बंसल सेल्स कॉरपोरेशन जयपुर द्वारा भिजवाया गया है एवं इसके निर्माता एस.एस.जी. फार्मा प्रा.लि. (फूड डिविजन) फैक्ट्री सी 18/1 साईट 4 इण्डस्ट्रीयल एरिया साहिबाबाद (गाजियाबाद) उत्तरप्रदेश है। अतः मौके पर उपरोक्त सभी को फॉर्म 5 ए की प्रति भेजी गई।

2(4).यह है कि क्यू–676 नमूने के एक सीलबंद भाग को फार्म नम्बर 6 की प्रति को सील बंद लिफाफे में उम्मेद सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नागौर के साथ दिनांक 15-10-14 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

2(5).यह है कि क्यू–676 के नमूने के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ भाग फार्म नम्बर कर तीन प्रतियों के साथ जिस पर वही सील अंकित की जिसके द्वारा क्यू–676 नमूना सील बंद कर प्रार्थी ने अभिहित अधिकारी, नागौर को दिनांक 15-10-14 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

2(6).यह है कि आवेदक को अभिहित अधिकारी, नागौर के द्वारा जांच रिपोर्ट एल.एस/622/एक्ट /2014/660 दिनांक 05-11-14 दी गई। जिससे मालूम हुआ कि लिया गया नमूना क्यू–676 खाद्य पदार्थ सोन पपडी सतमोला ब्राण्ड का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने कारण मिसब्राण्ड (Mis Branded) पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 25-03-2015 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब दिनांक 13.5.15 को पेश किया, अप्रार्थी सं. 3 की ओर से श्री बाबूलाल खोजा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी सं. 4 व 5 की ओर से श्री नरेन्द्र सारस्वत एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 23.12.15 को अपना जवाब पेश किया। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब दिनांक 13.5.15 मे बताया कि अप्रार्थी द्वारा बंसल एजेन्सी व्यास कॉलोनी नागौर से सतमोला की सोहनपापडी सीलबंद खरीद की जाती है व सीलबंद ही बेची जाती है। उसकी पैकिंग में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की छेडछाड नही की जाती है। इसलिये मुकदमे से बरी करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी सं. 2 ने अपने जवाब दिनांक 13.5.15 मे बताया कि अप्रार्थी द्वारा बंसल सेल्स कारपोरेशन (जयपुर) से सीलबंद माल खरीद किया जाता है व सीलबंद ही बेचा जाता है। उसकी पैकिंग में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की छेडछाड नही की जाती है। इसलिये मुकदमे से बरी करने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी सं. 4 व 5 ने अपने जवाब दिनांक 23.12.15 मे बताया कि प्रकरण में किसी प्रकार का मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ नही पाया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध गलत रूप से परिवाद प्रस्तुत किया गया है। खाद्य पदार्थ सतमोला सोन पपडी की पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी जोधपुर से जांच होने पर सोन पपडी में किसी प्रकार का अपमिश्रण नही पाया गया, जो स्वयं प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट दिनांक 05.11.14 से साबित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने सतमोला ब्रांड का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही मानने में कानूनी गलती की है। प्रयोगशाला द्वारा जांच रिपोर्ट में यह गलत बताया गया है कि खाद्य पदार्थ पर बेच नंबर, उत्पादन तिथी, पता आदि नही पाये गये, जबकि वास्तविक स्थिति यह थी कि खाद्य पदार्थ पर ब्रांड का नाम सतमोला, बेच नंबर ए65, उत्पादन व पैकिंग की तिथी 01.09.14, बेस्ट बिफोर 28.2.15, शाकाहारी व अशाकाहारी दर्शाने हेतु हरा सिम्बल, न्यूट्रीसनल इन्फोरमेशन तथा उत्पादक का नाम व पता एसएसजी फार्मा प्राइवेट लि. (फूड डिवीजन) फैक्ट्री सी–18/1 साइड 4 इन्डस्ट्रीयल एरिया साहिबाबाद (गाजियाबाद) 201010 (यूपी) का पूर्ण विवरण दिया हुआ था। पूर्ण विवरण दिया होने के बावजूद अभियुक्तगण के विरूद्ध मिसब्रान्डेड खाद्य पदार्थ होने का परिवाद गलत व झूठा पेश किया गया है। अभियुक्तगण ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (जेडएफ) (सी) (1) के प्रावधानों का किसी प्रकार का उल्लघंन नही किया है और न ही किसी अन्य कानून, विधि नियम अथवा प्रावधानों का उल्लघंन किया है। अभियुक्तगण के द्वारा अपने द्वारा उत्पादित खाद्य सामग्री पर बेच नं., उत्पादन तिथि, पता वगैराह सभी आवश्यक सूचना प्रिन्ट कराती है तथा सूचना प्रिन्ट कराये बिना सामग्री फेक्ट्री से बाहर नही निकालती है।

4. वकील अप्रार्थीगण की बहस का मनन किया गया। पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस/622/एक्ट/2014/660 दिनांक 05-11-14 के अनुसार खाद्य पदार्थ सोन पपडी सतमोला ब्राण्ड

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

का नमूना मिसब्रान्डेड पाया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 सवाईसिंह पर 30,000/– अक्षरे रूपये तीस हजार, अप्रार्थी सं. 1 दीपक अग्रवाल पर 35,000/– अक्षरे रूपये पैंतीस हजार, अप्रार्थी सं. 3 प्रकाश अग्रवाल पर 40,000/– अक्षरे रूपये चालीस हजार, अप्रार्थी सं. 4 व 5 पर संयुक्त रूप से 95,000/– अक्षरे रूपये पिंचानवे हजार कुल 2,00,000/– अक्षरे रूपये दो लाख शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

5. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर